दिनांक 08.03.2025

आज यह चालान पेश हुआ। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा उस पर लोक अदालत के माध्यम से वाद निपटाने हेतु आदेशिका जारी की जा रही है, परन्तु अभियुक्त किसी भी लोक अदालत में उपस्थित नहीं आ रहा है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दृष्टिगत हो रहा है कि चालान में अंकित पते पर ही अभियुक्त को सम्मन् जारी किये गये हैं, जिस पर यह आख्या प्राप्त हो रही है कि दिये गये पते पर उक्त व्यक्ति निवास नहीं करता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं की तामील चालान पर अंकित अधूरे/गलत पते के कारण नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पत्रावली में दिये गये पते के आधार पर अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के **C.L. No. 8X/(D)-1-Misc.-DR(1)/ 2013,** दिनांकित 02.07.2013 के अनुसार ऐसे छोटे अपराध जिनमें अभियुक्त का सही पता ना हो, उनको विधिनुसार दाखिल दफ्तर किया जा सकता है। इस मामले में पुलिस आख्या के अनुसार अभियुक्त का सही नाम पता अंकित होना प्रतीत नहीं हो रहा है। मामला मोटरवाहन अधिनियम से सम्बन्धित है तथा लघु प्रकृति का है और लम्बी अवधि से नीयत चल रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति भविष्य में सम्भव प्रतीत नहीं होती है और अभियुक्त पर बार–बार आदेशिका जारी करने से अनावश्यक रूप से शासकीय व्यय हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस वाद की कार्यवाही रोकते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

हस्ताक्षर .....
मजिस्ट्रेट